रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]　नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 1989/भाद्र 1, 1911

No. 528]　NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 1989/BHADRA 1, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1989

आयकर

का. आ. 669(अ) :— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :—

1- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए विहित प्राधिकारी।

6(1) धारा 35 के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव की सहमति से महा-निदेशक (आय-कर छूट) होगा।

(2) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किसी वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान संगठन या संस्था द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित आवेदन प्ररूप सं. 3 गच में होगा।

3. मूल नियमों के नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 1 अप्रैल, 1990 से रखा जाएगा, अर्थात :—

"धारा 10 की उपधारा 21 और 23 में निर्दिष्ट पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्था या संगम द्वारा आय के संचयन के लिए सूचना।

17. धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 10 के खंड 21 या खंड 23 के अधीन लागू उक्त उपबंध के अधीन निर्धारण अधिकारी या विहित प्राधिकारी को दी जाने वाली सूचना प्ररूप सं. 10 में होगी, और वह आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व दी जाएगी।"

4. मूल नियमों के परिशिष्ट 1 में प्ररूप 3 गज के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप सं. 3 गज

आय-कर अधिनियम की धारा 35 के अधीन अनुमोदन के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों के आवेदन का प्ररूप।

(नियम 6 देखिए)

1- (i) संगठन का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता

(ii) धारा 35 के अधीन अनुमोदन के नवीकरण की दशा में, पूर्व अनुमोदन के ब्यौरे दें।

2. (i) अनुसंधान प्रयोगशाला का पता (स्थापना का वर्ष) उपदर्शित करें

(ii) प्रयोगशाला के भारसाधक अधिकारी का नाम और पता

3. संगठन की विधिक प्रास्थिति, क्या वह रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी/कंपनी/अन्य है। कृपया रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें।

4. (i) संगठन की आय का स्रोत (पिछले 3 वर्षों से)

(ii) निर्धारण विशिष्टियां, यदि कोई हों, को उपवर्णित करें (स्थायी लेखा सं०/जी आई आर सं.), वार्ड/सर्किल का नाम),

(iii) पिछली बार निर्धारित की गई और विवरणित आय।

5. पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर उपगत व्यय की चालू प्राप्तियों के ब्यौरे।

वर्ष	संधान	अनुधान	अनुसंधान और विकास व्यय

6. अब तक किया गया विनिधान।

(i) बैंकों के साथ नियतकालिक निक्षेप

(ii) कंपनियों के साथ नियतकालिक निक्षेप

(iii) प्रतिभूतियां

(iv) शेयरों में डिबेंचर

(v) हाथ नकदी

(vi) अन्य यदि कोई हो, जो उपरोक्त के अन्तर्गत नहीं आता है।

7. क्या संगठन के लेखाओं की लेखा परीक्षा की जाती है (सुसंगत वर्ष के लिए संगठन के लेखा परीक्षित लेखा विवरण संलग्न करें।

8. अनुसंधान विषय और संगठन द्वारा चलाई गई परियोजनाएं (ब्यौरे संलग्न करें)

9. अनुसंधान के लिए उपलब्ध सुविधाएं

(i) भूमि/भवन

(ii) उपस्कर (मूल्य की मदों को उपदर्शित करें) (ब्यौरे संलग्न करें)

10. पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान प्राप्तियां (ब्यौरे संलग्न करें)

11. वर्ष के दौरान आयोजित सेमिनारों, सम्मेलनों, कर्मशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि के ब्यौरे संलग्न करें।

12. वित्तीय विवक्षाओं को उपदर्शित करते हुए अनुसंधान के भावी कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

स्थान : पदाभिधान

तारीख : पूरा पता

टिप्पण :

1- धारा 35 के अधीन छूट का फ़ायदा लेने के लिए संगठन का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना होना चाहिए।

1. यह संगठन जिसे धारा 35 (i) (ii) और 35 (1) (iii) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त धनराशि का एक पृथक लेखा बनाए रखेगा और प्रत्येक वर्ष विहित प्राधिकारी को लेखा परीक्षित वार्षिक विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसमें कुल आय और व्यय दर्शाया जाएगा और उसके साथ एक तुलनपत्र होगा जिसमें उसकी आस्तियों और दायित्वों को दर्शित किया जाएगा। लेखा परीक्षक यह प्रमाणित करेंगे कि उपगत रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। यदि संगठन आयकर अधिनियम की धारा 10(21) के अधीन छूट का फ़ायदा लेना चाहता है तो इस प्ररूप के उपाबंध को भी भरा जाना चाहिए और उनमें दी गई शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।

3. सभी आवेदन उस आय-कर आयुक्त के माध्यम से जिसकी आवेदक पर अधिकारिता है, तीन प्रतियों में महा-निदेशक (आय-कर छूट) को किए जाएंगे। संगमकों के साथ आवेदन की छह प्रतियां वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली को भी भेजी जाएंगी।

4. आवेदक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह विहित प्राधिकारी या डी एस आर आर द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विशिष्टियां या ब्यौरे प्रस्तुत करे।

उपाबंध

वर्ष ----------के लिए धारा 10 (21) के अधीन छूट का दावा करने के लिए धारा 35 (1) (ii) के अधीन अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के लिए लागू।

1. सुसंगत वर्ष के लिए संगम की कुल आय, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं।

2. ऊपर निर्दिष्ट आय की वह रकम जिसका संगम के उद्देश्यों के लिए पूर्णतया और आत्यंतिक रूप से उपयोजन किया गया है।

3. उपरोक्त स्तंभ (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए संचयित रकम।

4. (v) उन वर्षों के ब्यौरे जिनमें संगम की निधियों को विनिहित या निक्षिप्त किया जाएगा, विनिधान की प्रकृति, मूल्य और आय दर्शायी जाएगी।

(ii) उस निधि के ब्यौरे जो धारा 11 (5) में विनिर्दिष्ट रूप से विनिहित नहीं की गई है।

क्रम सं.	संस्थान का नाम और पता	किसी कंपनी की दशा में धारित अंशों का सं. और वर्ग	विनिधान का नामित मूल्य	विनिधान से आय
1	2	3	4	5

5. (i) क्या संगम कोई कारबार चला रहा है (ब्यौरे दें)

(ii) क्या कारबार उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक है।

6. अभिदायों की प्रकृति, मात्रा और मूल्य (नकद रकम ऐसे भिन्न) के ब्यौरे और वह रीति जिसमें ऐसे अभिदाय का उपयोजन किया गया है।

7. किसी हितबद्ध व्यक्ति से संगम के द्वारा या उसकी ओर से क्रय किए गए अंशों, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति के ब्यौरे।

8. क्या संगम की आय के किसी भाग का या किसी संपत्ति का ऐसी किसी रीति में उपयोग या उपयोजन किया गया था जिससे किसी हितबद्ध व्यक्ति का कोई फ़ायदा, सुविधा या परिलब्धि (चाहे धन में संपरिवर्तित की गई हो अथवा नहीं) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रदान हुई थी। यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।

9. धारा 11 की उपधारा (3) के आधार पर जैसा कि वह धारा 10 (21) के परंतुक द्वारा लागू होती है, संगम की आय समझी जाने वाली रकम।

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
पदाभिधान
पूरा पता

स्थान :
तारीख :

[संख्या 8436/फा. स. 142/25/89-टी. पी. एल.]
के. के. मित्तल, निदेशक (टी. पी. एल.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 1989

INCOME-TAX

S.O. 669(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal Rules), for rule 6, the following rule shall be sunstituted, namely :—

"Prescribed authority for expenditure on scientific research.

6. (1) For the purposes of section 35, the prescribed authority shall be the Diretor General (Income-tax Exemptions) in concurrence with the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India.

(2) The application form required to be furnished by a scientific or industrial research organisation or institution under clause (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 shall be in form No. 3CF.

3. In the principal Rules, for rule 17, the following rule shall be subtituted with effect from the 1st day of April, 1990, namely :—

"Notice for accumulation of income by charitable or religious trust or intitution or association referred to in sub-sections 21 and 23 of section 10.

17. The notice to be given to the Assessing Officer or the prescribed authority under sub-section (2) of section 11 or under the said provision as applicable under clause 21 or clause 23 of section 10 shall be in Form No. 10 and shall be delivered before the expiry of the time allowed under sub-section (1) of section 139 for furnishing the return of income.".

4. In the principal Rules, in Appendix I, after Form 3CE, the following Form shall be inserted, namely :—

FORM NO. 3 CF

APPLICATION FORM FROM SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATIONS FOR APPROVAL UNDER SECTION 35 OF THE INCOME-TAX ACT

(*See* Rule 6)

1. (i) Name and regisered address of the organisation,
   (ii) In case of renewal of approval under section 35, give details of earlier approval.
2. (i) Address of the Research Laboratory (indicate the year of establishment)
   (ii) Name and address of the Officer in-charge of the Laboratory.
3. Legal status of the organisation, whether Registered Society/Company/others. Please enclose a copy of certificate of registration.
4. (i) Sources of income of the organisation (for the last 3 years.
   (ii) Indicate assessment particulars if any (permanent account number/GIR number), name of the Ward/Circle),
   (iii) Last assessed and returned income.
5. Details of current receipts of expenditure incurred on research and development during the last three yeas.

Year	Donations	Grants	Research & Development expenditure

6. Investment made so far

   (i) Fixed deposits with banks

   (ii) Fixed Deposits with Companies.

   (iii) Securities

   (iv) In Shares, Debentures.

   (v) Cash in hand

   (vi) Others, if any not covered above.

7. Whether accounts of the organisation are audited (enclose an audited statement of accounts of the organisation for the relevant year).

8. Research subjects and projects undertaken by the organisation (enclose details).

9. Facilities available for research.

   (i) Land/building.

   (ii) Equipment (indicating items of value) (enclose details).

10. Research achievements during the last three years (enclose details)

11. Enclose details of Seminars, Conferences, Workshops, Training Courses etc. conducted during the year.

12. Enclose details of future programme of the research, indicating the financial implications.

Certified that the above information is true and to the best of my knowledge and belief.

SIGNATURE

DESIGNATION

FULL ADDRESS

Place :

Date :

NOTE :

1. For availing exemption under section 35 the sole object of the organisation should be to undertake scientific research.

2. The organisation which has been approved under section 35(1)(ii) and 35(1),iii) will maintain separate account of the sums received by it for scientific research and will submit to the prescribed authority each year a copy of the audited annual return showing the total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities. The auditors should certify that the amounts incurred are for scientific research. If the organisation is to avail of exemption under section 10(21) of the Income-tax Act, the annexure to this form should also be filled in and the conditions therein shoud be satisfied.

3. All applications will be made to the Director General (Incometax Exemptions), in triplicate, through the Commissioner of Income-tax having jurisdiction over the applicant. Six copies of the application with enclosure shall also be sent to the Deptt. of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

4. The applicant is also required to furnish any other particulars or details required by the prescribed authority or the DSIR.

ANNEXURE

APPLICABLE FOR SCIENTIFIC RESEARCH ASSOCIATIONS APPROVED UNDER SECTION 35(1)(ii), CLAIMING EXEMPTION UNDER SECTION 10(21) FOR THE YEAR.....

1. Total income of the Association including voluntary contributions for the relevant year.
2. Amount of income referred to above that has been or deemed to have been utilised for wholly and exclusively for the objects of the association.
3. Amount accumulated for the purpose mentioned in Col. (2) above.
4. (i) Details of modes in which the funds of the association are invested or deposited showing nature, value and income from the investment.

   (ii) Details of funds not invested in modes specified in section 11(5)

Sl. No.	Name & Address of the concern	In case of a company number and class of shares held.	Nominal value of the investment	Income from the investment
1	2	3	4	5

5. (i) Is the Association carrying on any business (give details).

   (ii) Is the business incidental to the attainment of its objectives.
6. Details of nature, quantity and value of contributions (Other than cash) and the manner in which such contribution has been utilised.
7. Details of shares, security or other property purchased by or on behalf of the association from any interested person.
8. Whether any part of the income or any property of the association was used or applied, in a manner which results directly or indirectly in conferring any benfit, amenity or perquisie (whether converted into money or not), on any interested person. If so, details thereof.
9. Amount deemed to be income of the association by virtue of sub-section (3) of section 11, as applicable by the proviso to section 10(21).

Certified that the above information is true and to the best of my knowledge and belief.

SIGNATURE

DESIGNATION

FULL ADDRESS

PLACE :
DATE :

[No. 8436 F. No. 142/25/89-TPL]
K.K. MITTAL, Director (TPL)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989